समक्ष श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/0466 निगरानी प्र.क्र. ———/2017

प्रेमनारायण, आयु लगभग 61 वर्ष
आत्मज स्व. श्री गोरेलाल, जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी– ग्राम शहरखेड़ा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती श्याम बाई, आयु लगभग 42 वर्ष
पत्नी श्री कोमल सिंह, जाति कुम्हार,
2. श्री कोमल सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष
आत्मज स्व. श्री गोरेलाल, जाति कुम्हार
दोनों निवासी– ग्राम शहरखेड़ा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक अपील प्रकरण क्र. 71/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शहरखेड़ा, प.ह.नं. 58, तहसील लटेरी स्थित भूमि खसरा क्र. 195 रकबा 1.808 हेक्टेयर, खसरा क्र. 197 रकबा 1.012 हेक्टेयर, कुल किता 2, कुल रकबा 2.820 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में श्री गोरेलाल आ. श्री धन्नालाल, निवासी– ग्राम शहरखेड़ा के भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी। श्री गोरेलाल के उत्तराधिकारियों में उनके दोनों पुत्र आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 हैं। श्री गोरेलाल का दिनांक 16.01.2017 को लम्बी बीमारी के उपरान्त स्वर्गवास हो गया तथा श्री गोरेलाल के स्वर्गवास के उपरान्त आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 के नाम पर ग्राम पंचायत शहरखेड़ा, जनपद पंचायत, लटेरी, जिला विदिशा के प्रस्ताव क्र. 3 दिनांक 26.01.2017 के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 के नाम पर उक्त भूमि का श्री गोरेलाल के स्थान पर फौती नामांतरण स्वीकृत किया गया तथा उक्त प्रस्ताव क्र. 3 के पालन में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि दर्ज करने हेतु पंजी क्र. 2 दिनांक 27.02.2017 भरी गई। उक्त पंजी में भी ग्राम पंचायत प्रस्ताव क्र. 3 के अनुसार ही प्रविष्टि प्रमाणित की गई है। इस प्रकार मूल आदेश ग्राम पंचायत शहरखेड़ा का प्रस्ताव क्र. 3 दिनांक 26.01.2017 है। उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, लटेरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में

...2..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/466

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	